संख्या-437/2023/1537/22-2-2023-17(316)/2020

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगवती सिंह उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुखपाल सिंह, निवासी जनपद-रायबरेली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14565/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.05.2023) दिनांक-04.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगवती सिंह उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुखपाल सिंह, ग्राम-पहाड़पुर कासों थाना-हरचन्दपुर, जनपद-रायबरेली का निवासी है। प्रेम प्रसंग में दिनांक 28.07.1988 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-293/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 27ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, लखनऊ के आदेश दिनांक 22.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष 01 माह 29 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 10 माह 23 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा प्रेम प्रसंग में दिनांक 28.07.1988 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भगवती सिंह उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुखपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगवती सिंह उर्फ पप्पू (बंदी संख्या-146/2009) पुत्र श्री सुखपाल सिंह, निवासी जनपद-रायबरेली के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-437/2023/1537(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के साथ)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
(लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के साथ)

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली।
3- पुलिस अधीक्षक, रायबरेली।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-437/2023/1537/22-2-2023-17(316)/2020

दिनांक 14 जुलाई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी भगवती सिंह उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुखपाल सिंह, ग्राम-पहाड़पुर कासों थाना-हरचन्दपुर, जनपद-रायबरेली का निवासी है। प्रेम प्रसंग में दिनांक 28.07.1988 को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-293/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 27ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, लखनऊ के आदेश दिनांक 22.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.04.2023 तक अपरिहार 18 वर्ष 01 माह 29 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 10 माह 23 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा प्रेम प्रसंग में दिनांक 28.07.1988 को अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी भगवती सिंह उर्फ पप्पू पुत्र श्री सुखपाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।